राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.4(ख)(एस–557/1988/अलेसे–II/313 दिनांक:– 01-7-24

आख्यात्मक आदेश

श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री गोम सिंह, सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II द्वारा, उन्हें तृतीय एसीपी दिनांक 05.11.2017 से स्वीकृत किये जाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–5515/2023 दायर की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2024 को निम्न आदेश दिये गये हैं:–

"The Present Petition is disposed of with a direction to the respondents to consider and decide the representation of the petitioner, while keeping into consideration the memorandum dated 07-06-2011 (Annexure-10) by passing a speaking order within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order, strictly in accordance with law. All pending applications also stand disposed of".

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.01.2024 में वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 07.06.2011 के अनुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये है। उल्लेखनीय है कि वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 04.11.2016 द्वारा पूर्व मेमोरेण्डम दिनांक 07.06.2011 के अन्तर्गत एसीपी स्वीकृत करने के लिए बिन्दु संख्या–01 (सन्तोषप्रद सेवा अभिलेख मानने हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता) को स्पष्ट करते हुये संशोधित किया गया है।

चूंकि श्री श्रवण सिंह को तृतीय एसीपी दिनांक 05.11.2017 को देय हुई है। अतः वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 04.11.2016 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना है अर्थात गत सात वर्षों (वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपेक्षित था। विभागीय अभिलेखों के अनुसार श्री श्रवण सिंह के वित्तीय वर्ष 2010–11, 11–12, 12–13, 13–14, 14–15 एवं वर्ष 2016–17 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वांछित 7 वर्षों में से 6 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

आपके अभ्यावेदन को कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार बकाया वांछित वर्षों की ए.पी.ए.आर. को एन.आर. के रूप में स्वीकार कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.3(ई)(1)(6)/एसीपी/अलेसे–II/148 दिनांक 12.06.2024 द्वारा तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांक:– एफ.4(ख)(एस–557/1988/अलेसे–II/313 दिनांक:– 01-7-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर को आपके पत्र क्रमांक कोष/जोस/विधि/2024/185 दिनांक 01.02.2024
2. श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री गोम सिंह प्लॉट नं. 25–26 नरसिंह नगर, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास BZS कॉलोनी, जोधपुर (राज.)।
3. उपनिदेशक, एसीपी कम्प्यूटर शाखा।
4. पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

C:\USERS\BB\DESKTOP\29.06.2024.DOCX:- 7